

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

मिसल नं 11 सन 2019
स्टेट जरिये पटवारी हल्का पाचू प्रखण बनाम अवरलाल
पुत्र श्री मोहनलाल
जाति कुम्हार
निवासी पाचू

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत
निर्णय दिनांक 22/7/19

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण अनुसार पटवारी हल्का पाचू प्रखण द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अप्रार्थी श्री अवरलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पाचू प्रखण ने खसरा नंबर 5416 तादादी 0.03 वाके रोही पाचू प्रखण किस्म गौचर में संवत् 2076 में किस्म नाजायज कब्जा/काश्त करके अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट की गिरदावर हल्का द्वारा जांच की जाकर पेश की गई। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी श्री अवरलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पाचू प्रखण को राजस्थान भू-अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। गैर सायल श्री अवरलाल उपरिस्थित/अनुपस्थित। गैर सायल की तरफ से सबूत में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्री अवरलाल द्वारा खसरा नंबर 5416 तादादी 0.03 गौचर/जोहड़ पायतन/अराजीराज/गै.मु.सड़क/रास्ता वाके रोही पाचू प्रखण संवत् 2076 में नाजायज कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। श्री अवरलाल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने एवं शरह पड़त सालाना तावान 1 रकबा 0.03 का 50 गुणा बतौर शास्ति 2=40 /-रू. कायम की जाकर वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को लिखा जावे कि मौके पर पहुंच कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तहसील राजस्व लेखाकार को शास्ति की मांग कायमी हेतु तथा पटवारी हल्का को आरोपित शास्ति वसूली करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पालना रिपोर्ट तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को खुले ईजलास न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
नोखा जिला बीकानेर